

\*प्रेस नोट\*

\*दिनांक 06.11.2025\*

\*जनपद-संतकबीरनगर\*

**\*दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में \*थाना महुली\* पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता सदानन्द तिवारी उर्फ बुढे तिवारी पुत्र सरजू तिवारी निवासी खरवनिया खुर्द थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-\* उ0नि0 अशोक कुमार सिंह, का0 विनोद कुमार ।

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार\***

- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 173 वाहनों से 1,88,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 06.11.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 173 वाहनों से 1,88,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

\*“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आम्स्र एक्ट के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपया अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 06.11.2025 को मा0 न्यायालय- सी0जे0(एस0डी0) एफटीसी0/एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को आम्स्र एक्ट के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपया अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

विवरण:-

दिनांक 06.08.2022 को आवेदक द्वारा थाना मेहदावल पर अभियुक्त कोईच पुत्र छोट्झ निवासी अमरहा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध आम्स्र एक्ट के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-206/2022 धारा- 4/25 आम्स्र एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

आदेश:-

अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपया अर्थदण्ड से किया गया दण्डित, अभियुक्त को न्यायालय अवधि के पश्चात मुक्त किया गया।

\*थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार\*  
\*अभियुक्तों के कब्जे से 01 डिजायर कार, 02 लाख 10 रुपये नकद, 01 अदद लैपटाप सहित अन्य सामान बरामद\*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल \*श्री सर्वदेवन सिंह\* के निकट पर्यवेक्षण में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.11.2025 को प्रभारी निरीक्षक बेलहरकला \*श्री अनिल कुमार\* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु030सं0 268/2025 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. अमित कुमार गुप्ता पुत्र विदुर गुप्ता निवासी तेनुहारी शुक्ल थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर 02. आशीष गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता निवासी ग्राम लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर 03. अशोक गुप्ता पुत्र रामदुलारे गुप्ता निवासी लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को बघौली बालूशासन पुल के पास से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\*

01. अमित कुमार गुप्ता पुत्र विदुर गुप्ता निवासी तेनुहारी शुक्ल थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।
02. आशीष गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता निवासी ग्राम लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर।
03. अशोक गुप्ता पुत्र रामदुलारे गुप्ता निवासी लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर।

**\*बरामदगी का विवरण –\***

01. 01 डिजायर कार वाहन संख्या यूपी 53 डी क्यू 5415
02. कुल 02 लाख 10 रुपये नकद
03. 01 अदद लैपटाप एचपी कम्पनी
04. 04 अदद मोबाईल व 01 अदद चार्जर
05. 01 अदद पंजाब नेशनल बैंक का शापिंग कार्ड, एचडीएफसी बैंक का 02 अदद बिजनेस डेबिट कार्ड, 01 अदद आईसीआईसीआई बैंक का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड व ड्राईविंग लाईसेन्स।

**\*आपराधिक इतिहास:-\***

**\*अशोक गुप्ता पुत्र रामदुलारे गुप्ता निवासी लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर\***

- मु030सं0 70/2025 धारा 316(2)/318(2)/351(2)/3(5) बीएनएस थाना बेलहर कला
- मु030सं0 86/2025 धारा 316(2)/318(2)/351(2)/3(5)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना बेलहर कला
- मु030सं0 93/2025 धारा 316(2)/318(2)/351(3) बीएनएस थाना बेलहर कला
- मु030सं0 94/2025 धारा 316(2)/318(2)/351(3) बीएनएस थाना बेलहर कला

**\*आशीष गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता निवासी ग्राम लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर\***

- मु030सं0 70/2025 धारा 316(2)/318(2)/351(2)/3(5) बीएनएस थाना बेलहरकला
- मु030सं0 86/2025 धारा 316(2)/318(2)/351(2)/3(5)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना बेलहर कला
- मु030सं0 93/2025 धारा 316(2)/318(2)/351(3) बीएनएस थाना बेलहर कला
- मु030सं0 94/2025 धारा 316(2)/318(2)/351(3) बीएनएस थाना बेलहर कला

**\*अमित कुमार गुप्ता पुत्र विदुर गुप्ता निवासी तेनुहारी शुक्ल थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर\***

- मु030सं0 70/2025 धारा 316(2)/318(2)/351(2)/3(5) बीएनएस थाना बेलहर कला
- मु030सं0 86/2025 धारा 316(2)/318(2)/351(2)/3(5)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना बेलहर कला
- मु030सं0 222/2013 धारा 323/354क/506 भादवि थाना सहजनवा जिला गोरखपुर
- मु030सं0 97/2014 धारा 110जी द0प्र0सं0 थाना सहजनवा गोरखपुर

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*-**

- प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री अनिल कुमार, उ0नि0 श्री नन्दा प्रसाद, हे0का0 विजय कुमार सिंह, का0 रवीन्द्र निषाद व का0 बृजेश सिंह।
- \*स्वाट/एसओजी टीम-\***  
हे0का0 बृजकिशोर गुप्ता, हे0का0 विवेक राय, का0 शुभम सिंह, का0 अरुण हलवाई, का0 विवेक मिश्रा, का0 सर्वेश मिश्रा व का0 दीपक सिंह।

\*“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 3500 रुपया अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 06.11.2025 को मा0 न्यायालय- सी0जे0(एस0डी0) एफटीसी0 / एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 3500 रुपया अर्थदण्ड से किया गया दण्डित ।

विवरण:-

दिनांक- 16.06.2006 को आवेदिका द्वारा थाना मेहदावल पर अभियुक्त सुधीर कहार पुत्र झीनक कहार निवासी ददरा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 506/2004 धारा-323/325/504/506 भदवि में पंजीकृत कराया गया था, जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त सुधीर कहार को 01. 323 भादवि0 के अपराध के लिए 500 रु का जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 01 माह का सदा कारावास भुगताना होगा। 02. 325 भादवि0 के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रु का जुर्माना से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह का सदा कारावास भुगताना होगा। 03. 504 भादवि0 के अपराध के लिए 500 रु का जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 01 माह का सदा कारावास भुगताना होगा। 04. 506 भादवि0 के अपराध के लिए 500 रु का जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह का सदा कारावास भुगताना होगा। उ0नि0 श्री जे0पी0 सरोज द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

आदेश:-

अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 3500 रुपया अर्थदण्ड से किया गया दण्डित, अभियुक्त को न्यायालय अवधि के पश्चात मुक्त किया गया।